मिलों को मिठास, नहीं बढ़ी गन्ने की कीमत

बीएस संवाददाता
लखनऊ, 12 नवंबर

राज्य सरकार ने 280 रुपये प्रति क्विंटल तय की सामान्य किस्म के गन्ने की कीमत

- पिछले साल के स्तर पर बरकरार रखी गन्ने की कीमत
- चीनी या उससे जुड़े सह-उत्पादों की कीमतों में कमी आती है तो सरकार करेगी भरपाई

निजी चीनी मिलों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज पेराई सत्र 2014-15 के लिए गन्ने की कीमतों में इजाफा नहीं करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आसान भुगतान के विकल्प की घोषणा की, वहीं पेराई सत्र के दौरान चीनी कीमतों या इसके सह-उत्पादों की कीमतों में किसी तरह की गिरावट आती है तो मिलों को इसकी क्षतिपूर्ति की भी घोषणा की गई है।

यह लगातार दूसरा साल है जब सरकार ने गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में इजाफा नहीं किया है। इसी दर पर मिल मालिक गन्ना किसानों को उनकी उपज का भुगतान करते हैं। आमतौर पर एसएपी, केंद्र सरकार द्वारा हर साल तय उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से ज्यादा रहता है। केंद्र ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 220 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पेराई सत्र 2014-15 के लिए गन्ने का एसएपी का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत अगैती किस्म के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के लिए 280 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य किस्मों के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की गई है। पिछली बार 2012-13 में उत्तर प्रदेश में सामान्य किस्म के गन्ने की कीमतों में 17 फीसदी बढ़ोतरी की गई थी।

इस बार भी पिछले साल की तरह दो किस्तों में भुगतान की अनुमति दी गई है। मिलों को गन्ने की आपूर्ति होने के 14 दिनों के अंदर 240 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करना होगा। तय समय में भुगतान नहीं करने पर 14 फीसदी की दर से ब्याज लिया जाएगा। वहीं शेष 40 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान पेराई सत्र खत्म होने के तीन माह के अंदर करना होगा।

Business Standard. (Hindi.)
13-11-14